REVIEW OF RESEARCH

भारतीय शासन प्रणाली का स्वरुपः परिवारतंत्र अथवा प्रजातंत्र

डॉ. राजपाल भुल्लर

एसोसिएट प्रोफेसर, डी.ए.वी. कालेज नन्यौला, जिला अम्बाला, हरियाणा।

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

प्रस्तावना :

भारत मे 17 वी लोकसभा के चुनाव की प्रकिया 11 अप्रैल से शुरु होकर 19 मई तक समाप्त होगी। 23 मई 2019 को नतीजे आ जायेगें और यह साफ हो जायेगा कि अगले 5 वर्ष तक शासन करने का अधिकार किस पार्टी अथवा नेता को प्राप्त होगा। इस बार 90 करोड मतदाता को वोट का अधिकार मिला है परन्तु इनमे से 54 से 55 करोड मतदाता ही मतदान मे भाग लेंगे बाकि 35 करोड के लगभग मतदाता चुनाव मे भाग नही लेते। भारत की सरकार, राजनीतिक पार्टीया, मिडिया हाउस मलाई चखने वाले बिचोलिये इसको भारतीय प्रजातंत्र के स्थायित्व के लिये गम्भीर खतरा मानते है। इलैक्शन स्टडी करने वाली संस्थाओ का यह मानना है कि भारत मे पढे–लिखे लोगो की अपेक्षा अनपढ तथा कम पढे–लिखे लोग ज्यादा मतदान मे भाग लेते है इसके अतिरिक्त शहरो मे निवास करने वाले लोगो की अपेक्षा गांवो मे रहने वाले लोग ज्यादा मतदान करते है।

इस बार सरकार के निर्देशानुसार कई स्कूलो व कोलॅजो के विधार्थियो ने चुनाव मे भाग लेने के लिये जनता को जागरुक करने हेतू चुनाव रैलियॅा निकाली गई। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र व पत्रिकाओं मे तथा रेडियो व टेलिविजन के माध्यम से भी लोगो को चुनाव मे मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है कि चुनाव एक पर्व के समान है। इसमे हमे खुश होकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए ताकि भारतीय प्रजातंत्र मजबूत हो सके। यदि भारतीय प्रजातंत्र मजबूत होगा तो भारत राष्ट्र के रुप मे ताकतवर बन सकेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिये यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या भारत मे वास्तविक रुप मे प्रजातंत्रिय प्रणाली कार्य कर रही है और मत के प्रतिशत मे वृद्धि होने से क्या वास्तव मे प्रजातंत्र मजबूत होगा अथवा परिवारतंत्र? वर्तमान मे कार्यरत भारतीय प्रजातंत्रिय प्रणाली को निम्नलिखित प्रश्नो द्वारा समझने का प्रयास करते है।

प्रश्न– 1 भारत मे परिवार तंत्र है अथवा प्रजातंत्र?

यदि हम भारत के उतरी राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर सदूर दक्षिण मे स्थित तमिलनाडू तक तथा पूर्वी राज्यो आसाम तथा मेधालय से लेकर पश्चिम राज्य राजस्थान और गुजरात तक नजर दौडाए तो आपको कुछ परिवार ही शासन करते मिलेगें चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो जैसे कि जम्मू कश्मिर मे अब्बदुल्ला परिवार की दूसरी और तीसरी पिढी के फारुक अब्दुला और उमर अब्दुला, मुफती मोहमद सईद की पुत्री महबुबा मुफती। पंजाब मे बादल परिवार, गुरचरण सिंह टोहडा तथा प्रताप सिंह कैरो परिवार, सुरजीत सिंह बरनाला, पटियाला राज परिवार के मुखिया कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, बेअन्त सिंह

परिवार। हरियाणा मे पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल की चौथी पीढी दुष्यन्त, दिग्गविजय व अर्जुन चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की तीसरी पीढी भव्य बिश्नोई भूतपूर्व सांसद रणबीर सिंह हुडा की दूसरी व तीसरी पीढी भूपेन्द्र सिंह हुडा तथा दिपेन्द्र सिंह, प0 चिरंजिलाल के सपुत्र कुलदीप शर्मा (चानक्य पंडित लाइन मे) भूतपूर्व सांसद दलबीर सिंह की पुत्री कुमारी शैलजा। चौ0 नेकी राम के पुत्र तथा चौ0 छोटू राम के नाती चौ0 विरेन्द्र सिंह के पुत्र बिजेन्द्र सिंह तथा पत्नी प्रेमलता, रावविरेन्द्र सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के पुत्र वर्तमान केन्द्रिय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह आगे इनकी पुत्री भारती राव तथा दो भाई राव अजित सिंह तथा राव युजवेन्द्र सिंह सभी राजनीति मे है। इसी प्रकार उतरप्रदेश मे मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव तथा अभय यादव, पुत्र अखिलेख यादव पुत्र वधु डिम्पल यादव, उतरप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजबीर सिंह, केन्द्रिय मंत्री राजनाथ के पुत्र पंकज सिंह जो नोयडा से विधायक है। उतरप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पुत्र, पौत्र व प्रपोत्र सांसद है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पुत्र अजित सिंह तथा पौत्र जयंत चौधरी सांसद है और फिर चुनाव मैदान मे है। पं0 जवाहर लाल नेहरु की चौथी पीढी के राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी राजनीति मे है। राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधीया के पुत्र दुष्यन्त झालावाड संसदीय सीट से तथा पूर्व केन्द्रिय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह बाडेमर से लोकसभा का चुनाव प्रत्याक्षी है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड रहे है तथा भुतपूर्व मुख्यमंत्री नाथुराम मिर्धा नागौर से सांसद रहे है आगे उनकी पुत्री ज्योती मिर्धा नागौर से ही संसद का चुनाव लड रही है। जयपुर के महाराजा भवानी सिंह की पुत्री दिया कुमारी राजस्थान की राजसंमद लोक सभा सीट से चुनाव प्रत्याशी है।

मध्यप्रदेश मे कलास विजयवर्गिय के पुत्र अकाश विजयविंर्गिय मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य है। 2018 मे समाप्त हुये मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव मे कुल 230 सीटो मे लगभग 90 सीटो पर पहले से स्थापित नेताओ के पुत्र व पुत्रियॉ चुनाव मैदान मे थी। इनमे से प्रमुख रुप से केन्द्रिय मंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी खडगपुर सीट से, पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गोड की पुत्रवधु कृष्णा गोबिन्दपुरा सीट से, पूर्वमंत्री अखण्ड प्रताप सिंह के पुत्र अभव यादव पृथ्वीपुर सीट से, सागर से सांसद लक्ष्मीनारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव सुरखी सीट तथा आर0के0 प्रजापति के पुत्र राकेश प्रजापति चन्देला विधानसभा सीट से चुनाव लड रहे थे।

वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ छिंदवाडा लोकसभा सीट से, गवालियर राजधराने से ज्योतिराजद्धिये गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान मे है। राघोगढ रियासत के वंशज मध्यप्रदेश के भुतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्गविजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है। दिग्गविजय सिंह के पुत्र जयवर्धन, मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य है। और कमलनाथ सरकार मे कैबिनेटमंत्री है। मध्यप्रदेश के भुतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी श्रीमति साधना सिंह भी विदीशा लोकसभा क्षेत्र से राजनीति करना चाहती है।

हिमाचल प्रदेश के भुतपूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर चौथी बार हमीरपुर सीट से लोकसभा का चुनाव प्रत्याक्षी है। पूर्व केन्द्रिय मंत्री सुखराम के प्रपोत्र अक्षय शर्मा मण्डी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याक्षी है। इस प्रकार मण्डी लोकसभा क्षेत्र मे दो राजनीतिक परिवारो की टक्कर है। हिमाचल प्रदेश की बी0जे0पी0 सरकार मे सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा बिजली मंत्री है। हिमाचल प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री तथा पॉच बार लोक सभा सदस्य रहे राजा विरभद्र सिंह हिमाचल की रामपुर बुसहर रियासत के वंशज है। उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह भी लोकसभा सदस्य रही है। अब उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह हिमाचल विधानसभा के सदस्य है वे शिमला ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करते है।

उतराखण्ड की राजनीति मे बहुगुणा परिवार सक्रिय है। अविभाजित उतरप्रदेश के 1970 के दशक के नेता हेमवन्ती नदंन बहुगुणा के पुत्र विजय बहुगुणा बाम्बे हाईकोर्ट के जज की नौकरी से त्याग पत्र देकर उतराखण्ड के मुख्यमंत्री बने। बहुगुणा की पुत्री रिटा बहुगुणा जोशी लखनउ कैंट से

विधायक है और बी0जे0पी0 की उतरप्रदेश सरकार मे कैबिनेट मंत्री है। बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा भी सांसद रही है।

बिहार राज्य मे लालू राबडी के रिस्तेदार व बेटा–बेटी सब राजनीति मे है। पश्चिम बंगाल मे भुतपूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पुत्र अभिजित मुखर्जी जांगीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव प्रत्याक्षी है। आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गोरव गोगोई ने 2014 मे कलियाबोर सीट से सांसद चुने गये थे और 2019 के चुनाव भी प्रत्याक्षी है। दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पी0ए0 संगमा की पुत्री अगाधा सगंमा मेधालय की तुरा सीट से प्रत्याशी है। वह मनमोहन सिंह सरकार की मंत्रीमण्डल की सदस्य रही है। वर्तमान केन्द्रियमंत्री किरणरिजुजु के पिता अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर रहे है। उडिसा मे बिजुपटनायक के पुत्र नविन पटनायक मुख्यमंत्री है तथा केन्द्रिय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के पिता देवेन्द्र प्रधान बाजपेयी सरकार मे मन्त्री रहे है।

महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीश के पिता गंगाधर फडनवीश महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे है तथा इनकी चाची शोभा फडनवीश मंत्री रही है। महाराष्ट्र के नेता शरद पंवार की बेटी सुप्रिया सुले पंवार तथा भतीजा अजित पंवार सभी राजनीति मे है और लोकसभा के चुनाव प्रत्याक्षी है। अजित पंवार के पुत्र पार्थ पंवार भी मावल से लोकसभा प्रत्याशी है। शिवसेना के जन्म दाता बाला साहब साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, पौत्र आदित्य ठाकरे तथा भतीजा राज ठाकरे सभी राजनीति मे सकिय है। मुरली देवडा के पुत्र मिंलिद देवडा साउथ मुम्बई से लोकसभा चुनाव प्रत्याक्षी है तथा गोपीनाथ मुण्डे की बेटी पंकजा मुण्डा महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार मे मंत्री है तथा इसकी छोटी बहन प्रितम मुण्डे बीड लोकसभा क्षेत्र से बी0जे0पी0 प्रत्याक्षी है। आन्ध्रप्रदेश मे तेलगुदेशय पार्टी के जन्मदाता एन0टी0रामाराव के दामाद चन्द्रबाबू मुख्यमंत्री है। आन्द्रप्रदेश के भुतपूर्व मुख्यमंत्री श्री राजेशेखर रेड्डी के पुत्र जगमोहन रेड्डी अमरावती से चुनावी मैदान मे है। जगमोहन रेड्डी के मामा पी0 रविनाथ, बहन वाई एस0 शर्मिला तथा चाचा वाई0एस0 सुब्बा रेड्डी सभी राजनीति मे है। वर्तमान मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडु के पुत्र नारा लोकेश आन्द्रप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री है। एन0टी0 रामा राव की पारिवारिक राजनीति को आगे बढा रहे है। कर्नाटक मे पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी0 देवगोडा खुद राजनीति मे सकिय है और तुमकुर सीट से लोकसभा प्रत्याक्षी है। उनका छोटा बेटा कुमारा स्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है तथा बडा बेटा एचडी0 रेवेन्ना मंत्री है। कुमार स्वामी की पत्नी तथा पुत्र भी लोकसभा चुनाव मे प्रत्याक्षी है। एचडी0 रेवेन्ना के दोनो बेटे भी लोकसभा का चुनाव मे प्रत्याक्षी है। इसका मतलब एचडी0 देवगोडा का समस्त परिवार 2019 लोकसभा चुनाव के मैदान मे है।

तमिलनाडू मे डी0एम0के0 तथा ए0आई0डी0एम0के0 का शासन रहा है। डी0एम0के0 नेता करुणानिधी की तीन पत्नियों के चार पुत्र, दो पुत्री तीन परपोत्र और दो परपौत्री है। इनमे से एम0 के स्तालिन, एम0के0 अलगीरी, बेटी कनीमोजी केन्द्र व प्रान्त की सरकारो मे मन्त्री रहे है। अन्य भी राजनीती मे सकिय भूमिका निभाते है। तमिलानाडू के वर्तमान मुख्यमंत्री पनीरसेलवम के पुत्र रविन्द्र कुमार थैनी लोकसभा सीट से चुनाव प्रत्याक्षी है। डी0एम0के0 लीडर टी0आर0 बालू के पुत्र टी0आर0बी0 राजा श्री प्रेममबदूर से चुनाव मैदान मे है।

उपरोक्त वर्णन के पश्चात अब यदि वोट का प्रतिशत बढता है तो परिवारतंत्र मजबूत होता है अथवा प्रजातंत्र यह चिंतन का विषय है। मेरे विचार मे जहां जहां से किसी भी राजनीतिक परिवार की दूसरी–तीसरी और चौथी पीढी चुनाव मैदान मे है लोगो को वोट पोल नही करना चाहिए। राजनीति पार्टीयो की पारिवारिक राजनीति का विकल्प नोटा का बटन नही है अपितु लोगो को खुले रुप वोट न डालकर इसका विरोध करना होगा वरना देश की जनता को गुमराह करके राजनीतिक पार्टियों के नाम पर परिवार राजनीति करते रहेंगें।

प्रश्नः–2 ऐसा नेता जिसने चुनाव क्षेत्र मे न जन्म लिया हो। न वहां उसका कभी निवास रहा हो। ना ही उसने अपने चुनाव क्षेत्र के किसी भी जनहित के मुदे को प्रशासनिक अधिकारियो के समक्ष रखा हो। ना ही समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र मे भाग लिया हो। अपने चुनाव क्षेत्र मे शामिल गांव छोटे

कस्बो के नाम तक न जानता हो। भला वह उस चुनाव क्षेत्र के लोगो की आवाज कैसे बन सकता है। वह उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है। क्या ये प्रजातन्त्र है?

बहुत से पैराशूटी उम्मीदवार सीधे दिल्ली से विभिन्न पार्टीयो की टिकट लेकर चुनाव रणभूमी से उतरते है। 10–15 दिन जनता को बेवकुफ बनाकर तथा वोट लेकर चुनाव जीतते है और वापिस दिल्ली और मुम्बई जाकर मौज करते है। उदाहरण स्वरुप गुजरात के मोदी जी वाराणसी से, राहुल गांधी जी वायनाड (केरल) से, अभिनेता सन्नी दयोल गुरदासपुर से, हरदीप पुरी अमृतसर से, हंसराज हंस का नार्थ वेस्ट दिल्ली से, बाक्सर विजेन्द्र सिंह दक्षिण दिल्ली से, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, संजय भाटिया करनाल से, अरविन्द शर्मा रोहतक से, निर्मल सिंह व नायब सैनी कुरुक्षेत्र से, और भी अनेको उदाहरण है।

प्रश्नः–3 देश के नागरिक प्रतिवर्ष गरीब होते जा रहे है और किसान कर्ज न लोटा पाने पर आत्महत्या कर रहे है और उनके प्रतिनिधियों की पूंजी मे 200–300 प्रतिशत प्रति 5 वर्ष मे बढोतरी होना क्या प्रजातंत्र है?

18 अप्रैल 2019 के ईंगलिश ट्रब्यून मे छपी खबर के अनुसार भारत मे बेरोजगारी की दर 2011 मे 3 प्रतिशत से बढकर 2018 मे 6 प्रतिशत हो गई है। गत दो वर्षो मे 50 लाख लोगो का रोजगार छिन्न गया है। बढते हुये तेल के दामो के कारण मंहगाई बढती जा रही है और लोगो की आमदनी धट रही है परन्तु विभिन्न दलो के उम्मीदवारो द्वारा चुनावो के दौरान धोषित की गई संम्पति से यह साफ है कि 1999–2004, 2004– 2009, 2009–2014 तथा 2014–2019 लोकसभा कार्यकाल से लगातार नेताओ की सम्पति 200–300 प्रतिशत प्रत्येक पॉच वर्ष मे बढती जा रही है। Assocation for Democratic Reforms तथा Election Watch जैसी संख्याओ की Study द्वारा तथा चुनाव लड रहे प्रत्याक्षियो जमा करवाये गये शपथ पत्र मे दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि हरियाणा की भाजपा सरकार मे मंत्री नायब सिंह सैनी की सम्पति 2014 मे 93.18 लाख रुपये थी जो 2019 मे बढकर 3.57 करोड हो गई। इसी प्रकार हिसार से जजपा के प्रत्याक्षी दुष्यन्त चौटाला की सम्पति 2014 मे 36.13 करोड थी जो 2019 मे बढकर 76.94 करोड रुपये हो गई। नेता चाहे सतापक्ष का हो अथवा अथवा विपक्ष का सम्पति मे इजाफा दोनो का लगातार बराबर हो रहा है। मतलब जनता के खजाने को लुटने मे सतापक्ष और विपक्ष दोनो की अधोषित सहमती है।

प्रश्नः–4 क्या जनप्रतिनिधियो द्वारा अपने वेतन, भते तथा पैन्शन स्वयं तय करना प्रजातंत्र है?

भारत मे किसान की फैसलो से प्राप्त उपज का दाम, मजदूर की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारियों व अधिकारियो के वेतन सभी सरकार द्वारा गठित आयोगो द्वारा निश्चित किये जाते है। इसके लिए सरकार ने एक निश्चित कार्यालय भी रखा हुआ है परन्तु माननीय विधानसभा और लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यो को स्वयं विधेयक लाकर जब चाहे अपने वेतन भत्तो मे वृद्धि करने का अधिकार है जो कि प्रजातंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। वेतन व भत्तो के अतिरिक्त विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यो को केवल मात्र 4 प्रतिशत के ब्याज पर 80 लाख तक मकान व कार खरीदने के लिये लोन प्राप्त करने की सुविधा भी है। यह सुविधा 5 साल के कार्यकाल मे 2 बार ले सकते है। एक देश का नागरिक मात्र 350 रु प्रतिमास मे जीयो द्धारा दी गई अनलिमटीड फ्री कोल की सुविधा प्राप्त कर रहा है परन्तु देश के विधायक व सांसद 15000 रुपये प्रतिमास टेलिफोन भत्ते के नाम से देश का खजाना लूट रहे है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मे नैशनल ड्रेमोकेटीक पार्टी एलयान्स की सरकार ने 2004 मे देश के सभी कर्मचारियो की पैन्शन समाप्त कर दी थी। देश का कोई भी नागरिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात केवल 1500–1800 रुपये प्रतिमास बुढापा पैन्शन पाने का अधिकारी है लेकिन हमारे देश के विधायक/सांसद को लाखो रुपये की पैन्शन केवल मात्र एक दिन विधायक व सांसद रहने पर ही मिल जाती है। उनका एक दिन का कार्यकाल पूरे पांच वर्ष गिना जाता है। इसके अतिरिक्त जितनी बार जनता उसे विधायक/सांसद चुनेगी उतनी बार उसकी पैन्शन बढती जाऐगी। पैन्शन का उम्र से

कोई सम्बन्ध नही है। कई देश के विधायक व सांसद इतनी पैन्शन ले रहे है जितना कि नये विधायक का वेतन नही है। पैन्शन के अतिरिक्त मुफत रेल व हवाई यात्रा की सुविधा भी है। सन 2000 के पश्चात एक नया ट्रेण्ड भारतीय राजनीती मे उभर कर आया है जिसको विश्व दर्शन कहा जा सकता है। देश का प्रधानमंत्री अथवा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, विधायक व सांसद द्वारा देश के विकास के नाम पर, ज्ञानवर्धन के नाम पर तथा विदेशी निवेश को बढाने के नाम पर विदेशी टूर आयोजित किये जाते है। इसमे देश का कोई लाभ हो न हो पर जनता के खजाने से विश्वदर्शन हो जाता है। इस विषय पर भी सभी राजनीतिक दलो तथा नेताओ मे अधोषित सहमती नजर आती है। कई विदेशी टूर पर तो सतापक्ष और विपक्ष के नेता साथ मिलकर भी जाते है।

प्रश्नः— 5 क्या चुनावी धोषणा पत्र मे शामिल किये बिना कोई निर्णय जनता पर थोप देना प्रजातंत्र है?

ब्रिट्रेन सहित विश्व मे कई ऐसे देश है। जहां पर कोई भी सरकार चुनाव के दौरान जारी किये गये किसी भी धोषणा पत्र शामिल न किये गये किसी भी विषय पर कानून का निर्माण नही कर सकती । यदि वह ऐसा करना चाहे तो उसे पहले जनता से जनमत संग्रह द्वारा राय लेनी होगी जैसे कि बिट्रेन को यूरोपियन से अलग होने के विषय पर वहां की सरकार जनता से जनमत संग्रह द्वारा राय ले रही है लेकिन भारत मे ऐसा नही है। 2014 के लोकसभा चुनावो मे किसी भी राजनीतिक दल के धोषणा पत्र मे नोटबन्दी शामिल नही थी तथा बी0जे0पी0 पार्टी के धोषणा पत्र मे जी0एस0टी0 का विषय शामिल नही था। परन्तु सता प्राप्त होते ही एन0डी0ए0 सरकार द्वारा नोटबन्दी तथा जी0एस0टी0 कानूनो को जनता की राय लिये बिना लागू करना प्रजातंत्र की भावना के विरुद्व है।

प्रश्न :—6 क्या ऐसा व्यक्ति जिसको जनता ने चुनाव के द्वारा नकार दिया हो, उसी को ही जनता के लिये नियम व कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है क्या ये प्रजातंत्र है?

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा वर्तमान वितमंत्री अरुण जेटली दोनो को जनता ने नकार दिया था। श्री अरुण जेटली 2014 मे अमृतसर से तथा डा0 मनमोहन सिंह 2009 मे दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार गये थे। फिर भी डा0 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे तथा अरुण जेटली देश के वितमंत्री है। मतलब भारत मे एक ऐसी प्रजातंत्रिय प्रणाली है जिसमे जनता द्वारा रिजेक्ट व्यक्ति भी जनता पर अपने निर्णय थोप सकता है।

क्या वोट का प्रतिशत बढने से उपरोक्त छः प्रश्नो का समाधान हो सकता है। मेरे विचारनुसार बिल्कुल नही। पहले यदि इन छः प्रश्नो का समाधान हो जाऐ तो जनता को वोट प्रतिशत अपने आप बढता चला जायेगा। लोगो का राजनितीक व्यवस्था पर विश्वास बढेगा। परन्तु विडम्बना यह है कि सभी राजनीतिक दलो पर परिवारो का कब्जा है और वे नही चाहते कि आम जनता इन राजनीतिक दलो मे शामिल होकर देश की राजनीतिक प्रणाली को मजबूत बनाने मे अपना सहयोग दे। ये परिवारतंत्र को ही प्रजातंत्र मानते है और जनता का वोट का प्रतिशत बढाकर जनता से प्रजातंत्र की मोहर लगवाना चाहते है।

इसी कारण से अधिक्तर पढे लिखे शहरी मतदाताओ का वोट के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। उन्हे समझ आ रहा है कि ये प्रजातंत्र नही परिवार तंत्र है। देश के अधिक्तर बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया हाउस तथा प्रशासनिक वर्ग को भी यह पता है कि देश मे प्रजातंत्र के नाम पर परिवारो का तंत्र कार्य कर रहा है परन्तु वे अपना व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने अथवा प्राप्त किये गये लाभ को खो देने के डर से चुप रहना ही मुनासिब समझते है।

उपरोक्त प्रश्नो के समाधान के बारे मे सोच विचार करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। इन समस्याओ के समाधान के लिये कुछ सुझाव इस प्रकार है।

प्रथमः—भारत मे परिवारतंत्र को प्रजातंत्र मे परिवर्तित करने हेतू हमे सर्वप्रथम चुनाव आयोग को शक्तिशाली संस्था बनाना होगा। वर्तमान मे चुनाव आयोग एक वैधानिक संस्था तो है परन्तु राजनीतिक दलो को नियन्त्रण करने तथा उनकी कार्यप्रणाली को स्वयं रेगुलाईज करने की शक्ति उसके पास नही है। यहां तक कि उसके पास चुनाव करवाने तक के लिये कमचारियो की प्रयाप्त संख्या तक नही है। चुनाव आयोग एक स्वायत एवम सशक्त संस्था हो इसके लिये उसके पास स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कर्मचारियो व अधिकारियो का होना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय चुनाव आयोग मे सेवा देने के लिये अलग से (आल इंडिया इलैक्शन सर्विस) अखिल भारतीय चुनाव सेवा कि स्थापना की जाये जो भारत के प्रत्येक जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर कार्य कर सके। इस सेवा मे कार्य करने वाले अधिकारियो व कर्मचारियो की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाये । तभी चुनाव आयोग अपने अधिकारियो के द्वारा चुनाव सम्बन्धित तथा राजनीतिक दलो की फनडिंग को स्वयं नियन्त्रण कर सकता है। राजनितिक दलो मे आंतरिक प्रजातंत्र स्थापित करने तथा उनको मिलने वाली चन्दा की राशि सभी का ओनलाइन डाटा तैयार हो। प्रत्येक दो वर्ष पश्चात चुनाव आयोग प्रत्येक राजनीतिक दल के सांगठनिक चुनाव करवाये तथा राजनीतिक दलो की मैम्बर शिप भी चुनाव आयोग के माध्यम से ही हो । राजनितिक दलो को मिलने वाली फनडिंग व दान राशी पहले चुनाव आयोग के खाते मे जमा हो। चुनाव आयोग इस दान राशि व फनडिंग की कानूनी वैधता की जांच परख करे फिर सम्बन्धित राजनीतिक दल के खाते मे ट्रांसफर हो जाये। राजनीतिक दलो के संगठन और उन्हे मिलने वाले दान व फनडिंग पर चुनाव आयोग का सीधे नियन्त्रण होना आवश्यक है। कोई भी राजनितिक दल अपने आंतरिक चुनाव बिना चुनाव आयोग नही करवायेगा तथा किसी भी राजनितिक दल का व्यक्ति दो वर्ष से अधिक पार्टी के संगठनात्मक पद पर नही होगा। पार्टी मे संगठनात्मक पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति न्यूनतम कम से कम लगातार 5 वर्ष से पार्टी का मैम्बर रहा हो।

इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को देश मे प्रतिवर्ष नैशनल पोलटीकल (एन0पी0ई0टी0) इलिजिबल टेस्ट का आयोजन करने की शक्ति दी जाये। किसी भी व्यक्ति के लिये इस टैस्ट मे पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो जो भी व्यक्ति इसे पचास प्रतिशत अंको के साथ पास कर जाये उसको चुनाव आयोग एक सर्टिफिकेट दे जिसकी वैधता पॉच वर्ष तक हो। बिना एन0पी0ई0टी0 टैस्ट पास किये व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विधानसभा अथवा लोकसभा का उम्मीदवार नही बना पायेगी ऐसी शर्त होनी चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक दल की मैम्बर शिप क्वालिफकेशन तथा फनडिंग सब चुनाव आयोग द्वारा रेगुलाईज किया जाये तो पार्टीयो मे से परिवारो का नियन्त्रण समाप्त होगा और जब राजनीतिक पार्टीयां लोकतांत्रिक होगी तभी देश लोकतंत्र के मार्ग पर चलना शुरु करेगा।

द्वितीयः— जो भी व्यक्ति जिस चुनाव क्षेत्र मे चुनाव लडना चाहता है वह उस क्षेत्र का जन्मजात नागरिक हो अथवा वहां पर लगातार गत पॉच वर्ष से निवास कर रहा हो । इसके अतिरिक्त उसने क्षेत्र की जनता की किसी न किसी रुप से सेवा की हो जैसे शिक्षा मे योगदान, स्वास्थ्य सुविधाओ, पीने के पानी की सुविधा मुहैया,गरीबो के रहने की सुविधा तथा खाने का प्रबन्ध, कपडो की सुविधा देना इत्यादि। इसके साथ—साथ कम से कम वर्ष मे दो बार किसी भी जनससमस्या का समाधान करवाने के लिये सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियो से मिला हो। सभी उपरोक्त योग्यताएँ पूर्ण करने वाले व्यक्ति को कम से कम 100 लोगो से समर्थन पत्र प्राप्त करके अपनी पार्टी के पास जमा करवाना होगा तभी कोई राजनीतिक दल उसे चुनाव प्रत्याशी धोषित कर सकता है।

तृतीयः— जनप्रतिनिधियों का बढता धन देश के लिये चिन्ता का कारण है जो भी व्यक्ति देश मे पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव लडना चाहता है वह अपनी और अपने परिवार की तथा अन्य सभी सगे—सम्बन्धियो की समस्त चल—अचल सम्पति की पूर्ण जानकारी शपथ पत्र पर लिखकर चुनाव आयोग को देगा। चुनाव आयोग सभी चुनाव लडने वाले प्रत्याक्षियो की चल—अचल सम्पति की

कानूनी जांच अपने वित व ओडिट विंग से करवायेगा तथा जनता के लिये ओनलाइन प्रदषित भी करेगा। जब वह व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद से हट जायेगा। फिर से वह अपनी व अपने परिवार की तथा अन्य सभी सगे सम्बन्धियो की समस्त चल–अचल सम्पति की जानकारी शपथ पत्र पर लिखकर चुनाव आयोग को देगा। चुनाव आयोग का वित व ओडिटींग विभाग फिर से सम्पति की पूर्ण जांच परख करेगा। चुनाव आयोग को सभी चुनाव करने वाले उम्मीदवारो की सम्पति की जांच करने का अधिकार होना चाहिये।

चतुर्थः–जनप्रतिनिधियो द्वारा अपने वेतन, भते व अन्य सुविधाओ मे स्वयं वृद्धि कर लेना प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है। इसके लिये प्रत्येक दस वर्ष पश्चात वित व प्रशासन से सम्बन्धित विशेषज्ञो की कमेटी अथवा आयोग बनाया जाना चाहिये। इस आयोग की सिफारिश पर ही वेतन भते व पैन्शन व अन्य सुविधाये निर्धारित की जानी चाहिये। यदि कोई विधायक व सांसद अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करे तभी उसको पैन्शन का अधिकारी माना जाना चाहिये। किसी भी प्रतिनिधि को एक बार ही पैन्शन का अधिकारी माना जाये। बार–2 चुनाव जितने पर उसकी पैन्शन मे बार–2 न बढोतरी की जाये। जनप्रतिनिधियो को मकान और कार लोन उसी दर से मिले जो सरकार के कर्मचारियो व अधिकारियो को दिया जाता है।

पंचमः– चुनावी धोषणा पत्र को एक कानूनी दस्तावेज के तौर पर माना जाये। चुनाव आयोग इस बात की निगरानी करे कि कोई भी पार्टी सता प्राप्त हो जाने के पश्चात किसी भी ऐसे विषय पर या मुदे पर कानून अथवा नियम निर्माण करने का प्रयास न करे जिसका जिक उसने अपने चुनाव धोषणा पत्र मे नही किया था। दूसरे कोई भी राजनितिक दल सता प्राप्त हो जाने के पश्चात यदि चुनाव धोषणा पत्र मे लिखे गये वायदे के अनुसार नियम, कानून व कार्य पूर्ण न करे तो उसके विरुद्ध स्वयं चुनाव आयोग संज्ञान ले तथा देश की जनता को यह अधिकार हो कि उस पार्टी तथा नेताओ के विरुद्ध कानूनी कारवाई कर सके। यहां तक कि फौजदारी कानून भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 420 तथा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाये क्योकि आगे कोई भी पार्टी व नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके वोट न ले सके।

सष्ठः– चुनाव आयोग को यह अधिकार मिले की वह भारतीय जनप्रतिनीधी कानून मे संशोधन कर सके कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव हार गया हो वह केन्द्रीय मंत्रीमण्डल का हिस्सा न हो। केवल लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री तथा मंत्रीमण्डल का भाग हो क्योकि यह प्रजातंत्र की भावना के प्रतिकूल है कि जनता से रिजेक्ट व्यक्ति ही जनता के लिये कानून का निर्माण करे। भारत के विकास के लिये यह आवश्यक है कि भारत की आम जनता को राजनीति व्यवस्था मे भागीदार बनाया जाये। अब तक तो उसे केवल वोटर तक ही सीमित रखा जा रहा है।

सन्दर्भ सूचीः–

1. Dr. Durga das Basu, Indroduction to the constitution of India. 19th edition, Reprint 2004 wadhwa and company, Agra.
2. डा0 गोरीशंकर राजहंस, चुनाव सुधार की आवश्यकताओ, दैनिक जागरण 2009
3. कौशिक डेका, चुनाव फंडिग और भष्ट्राचार, इंडिया टुडे 14 दिसम्बर 2016
4. Sushant Chandra, parties not above law, The Tribune 4 January, 2017
5. संजय गुप्ता, राजनीतिक दलो पर अंकुश, दैनिक जागरण 14 जुलाई 2013
6. त्रिलोचन शास्त्री, पार्टीया और पारदर्शिता, दैनिक जागरण 30 अगस्त 2015
7. निरंकार सिंह, मतदाता ही है भारत का भाय विधाता, पंजाब केसरी 19 अप्रैल 2019
8. पूनम आई0 कौशिक, चनावो मे धन बल का बढता प्रभाव, पंजाब केसरी 23 अप्रैल 2019
9. The Tribune PTI Thursday 18 April 2019

10 Bhartesh Singh Thakur Assets of Haryana BJP leaders see hefty rise, April 20, 2019 The Tribune Chandigarh.
11 Shahira Naim in Lucknow, Development is won-issue in the country's largest state, The Tribune Chandigarh 21 April, 2019
12 Mahaballot 2019, Money meter, Declation made by candidate to election commission , The Tribune 22 April 2019, 23 April, 2019
13 महाभारत 2019, दैनिक भास्कर 23 अप्रैल 2019
14 रमेश सराफ धमोरा, राजनीति मे वंशवाद की बेल, दैनिक सवेरा टाम्स 23 अप्रैल 2019 इण्स्ट्रील ऐरिया जालन्धर
15 डा0 भारत झुनझुनवाला, सरकारी अनुदान से लडे जाऐ चुनाव, दैनिक जागरण, 23 अप्रैल 2019 चण्डीगढ।
16 जगदीप एस0 छोकर नोटा ओन कोर्स टू बी0कम ए0 पावरफूल टूल, दा ट्रब्यून 26 अप्रैल 2019 चण्डीगढ।
17 एस0वाई कुरैशी, अफवाहो का उफान, जवाबदेही का प्रश्न, दैनिक ट्रब्यून 19 अप्रैल 2019 चण्डीगढ।

LBP PUBLICATION